भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2165
(20 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए)

स्टार्ट-अप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम के अंतर्गत निधियां

2165. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:
श्री कृपानाथ मल्लाह:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान स्टार्ट-अप ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम के अंतर्गत विशेषकर तमिलनाडु और असम में स्वीकृत , आवंटित और उपयोग की गई निधियों का राज्य और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विशेषकर तमिलनाडु और असम में इस कार्यक्रम के अंतर्गत गैर-कृषि क्षेत्रों में अब तक ग्रामीण स्तर पर उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त करने वाले ग्रामीण गरीबों की राज्य-वार और जिला-वार संख्या और इसकी प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण गरीब महिलाओं के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) के तहत स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधियों का तमिलनाडु और असम सहित राज्यवार, जिलेवार ब्यौरा **अनुबंध-I में** दिया गया है।

(ख) से (घ): एसवीईपी, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) की मांग आधारित उप-योजना है और किसी भी राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र के लिए कोई विशिष्ट आवंटन नहीं किया गया है। राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र एसवीईपी ब्लॉकों के अनुमोदन के लिए पूरक वार्षिक कार्य योजना (एएपी) प्रस्तुत करते हैं। योजना के

दिशानिर्देशों के अनुसार इन वार्षिक कार्य योजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है और अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है। एसवीईपी ब्लॉकों में उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त ग्रामीण गरीबों (एसएचजी इकोसिस्टम से) की संख्या और ग्रामीण गरीबों (एसएचजी इकोसिस्टम से) के लिए निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

"एसवीईपी के लिए निधि" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 20.12.2022 को उत्तर देने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2165 के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

विगत तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान एसवीईपी के तहत स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधियां

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य	जिलों की संख्या	एसवीईपी ब्लॉक	स्वीकृत निधि	केंद्रीय अंश	जारी केंद्रीय अंश				उपयोग *			
						2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (30 नवम्बर, 2022 तक)	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (30 नवम्बर, 2022 तक)
1	आंध्र प्रदेश	5	8	4,535.30	2,721.18	275.72	261.32	0	0.00	1,196.82	875.96	0.00	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	2	1	493.92	444.53	0.00	27	66.76	0.00	0	0	26.00	1.34
3	असम	8	8	1,571.57	1,414.41	238.85	639.71	135	0.00	0	262.21	478.72	132.80
4	बिहार	13	22	6,704.21	4,022.53	397.93	0	180	0.00	396.04	210.26	719.88	274.25
5	छत्तीसगढ़	8	9	4,851.17	2,910.70	245.66	36	55.53	0.00	201.95	365.59	288.00	268.40
6	गोवा	2	1	596.73	358.04	0.00	18	0	46.47	0	0	10.00	16.00
7	गुजरात	3	3	1,617.20	970.32	0	0	0	0.00	380.00	0	0.00	0.00
8	हरियाणा	6	6	2,967.90	1,780.74	691.12	115.21	148.9	0.00	195.52	806.5	0.00	8.45
9	हिमाचल प्रदेश	1	1	558.06	502.25	0.00	27	0	0.00	0	0	0.00	0.00
10	जम्मू और कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र)	9	8	2,167.09	1,950.38	0	130	197.76	0.00	165.00	7.46	110.21	0.36
11	झारखंड	9	16	7,056.03	4,233.62	491.4	859.59	107.44	0.00	612.73	609.54	1289.44	328.01
12	कर्नाटक	4	4	1,316.73	790.04	0	18	188.51	26.64	0	0	30.00	269.67
13	केरल	14	25	8,626.29	5,175.77	136.2	791.65	194.4	0.00	1,027.18	943.2	449.92	801.42
14	मध्य	13	14	7,350.52	4,410.31	569.06	675.51	130.45	0.00	1,166.82	1200	524.46	261.83

	प्रदेश												
15	महाराष्ट्र	5	8	4,195.00	2,517.00	0	252.36	0	0.00	124.21	52.92	0.00	172.00
16	मणिपुर	2	2	1,076.78	969.1	93.46	120.46	27	0.00	10.00	96.07	132.63	16.21
17	मेघालय	1	1	444.34	399.91	0	0	0	0.00	8.69	8.4	6.83	2.28
18	मिजोरम	4	4	900.03	810.03	135.01	0	54	0.00	16.70	48.03	168.75	5.01
19	नागालैंड	3	4	1,968.09	1,771.28	200.23	54	87.05	0.00	13.47	239.75	16.69	100.43
20	ओडिशा	12	12	6,425.57	3,855.35	1,031.92	71.67	53.9	0.00	612.73	1139.15	141.58	48.70
21	पंजाब	3	3	1,535.04	921.02	0	97.56	0	59.01	271.20	49.24	76.94	5.08
22	राजस्थान	7	7	3,892.50	2,335.50	128.55	500.76	71.63	92.12	378.00	392.71	324.75	105.96
23	सिक्किम	1	1	463.67	417.39	0	27	71.63	0.00	0	0	29.99	3.73
24	तमिलनाडु	4	4	2,178.40	1,307.04	305.52	158.21	44.36	0.00	156.54	0	48.01	14.48
25	तेलंगाना	19	20	5,768.12	3,460.87	437.97	98.87	415.38	0.00	234.00	420.39	220.62	666.78
26	त्रिपुरा	3	3	564.21	507.79	0	27	125.62	0.00	0	0	26.00	52.00
27	उत्तर प्रदेश	18	19	9,705.19	5,823.11	622.51	142.62	444.6	0.00	946.94	920.77	96.94	117.87
28	उत्तराखंड	4	4	1,988.06	1,789.26	153.25	414.5	54	43.14	47.64	242.59	180.00	78.60
29	पश्चिम बंगाल	16	16	8,389.13	5,033.48	208.5	36	236.88	0.00	1,223.03	0	246.78	246.78
	कुल	**199**	**234**	**99,906.85**	**63,602.95**	**6,362.86**	**5,600.00**	**3,090.80**	**267.38**	**9,385.21**	**8890.74**	**5,643.14**	**3,998.44**

टिप्पणी: एसवीईपी एक मांग आधारित कार्यक्रम है, इसलिए आवंटन नहीं किया जा रहा है।

* उपयोग में राज्य अंश और पिछले वर्ष की कोई भी अव्ययित शेष राशि भी शामिल है

अनुबंध-II

"एवीईपी के लिए निधि" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 20.12.2022 को उत्तर देने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2165 के भाग (ख) से (ड.) में उल्लिखित अनुबंध

एसवीईपी ब्लॉकों में उद्यम स्थापित करने के लिए सहायता प्राप्त ग्रामीण गरीबों (एसएचजी इकोसिस्टम से) की संख्या और ग्रामीण गरीबों (एसएचजी इकोसिस्टम से) के लिए निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	जिलों की संख्या	एसवीईपी डीपीआर अनुमोदित ब्लॉक	डीपीआर के अनुसार कुल लक्ष्य	लक्ष्य (30 नवम्बर, 2022 तक)	सहायता प्राप्त कुल उद्यम (नवम्बर, 2022 तक)
1	आंध्र प्रदेश	5	8	16,249	16,249	17,493
2	अरुणाचल प्रदेश	2	1	1,400	280	0
3	असम	8	8	3,624	3,624	3,171
4	बिहार	13	22	21,481	21,481	22,418
5	छत्तीसगढ़	9	15	14,781	11,637	14,824
6	गोवा	2	1	2,390	358	0
7	गुजरात	3	3	5,506	5,506	5,918
8	हरियाणा	6	6	7,871	7,871	8,850
9	हिमाचल प्रदेश	1	1	2,018	404	0
10	जम्मू और कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र)	9	8	6,290	2,862	2,262
11	झारखंड	9	16	17,801	17,018	18,178
12	कर्नाटक	6	8	4,571	914	0
13	केरल	14	33	27,534	26,234	27,005
14	मध्य प्रदेश	13	14	23,806	20,010	21,599
15	महाराष्ट्र	5	8	14,396	9,394	4,506
16	मणिपुर	2	2	3,369	1,709	1,145
17	मेघालय	1	1	924	924	821
18	मिजोरम	4	4	1,380	1,122	957
19	नागालैंड	3	4	5,531	4,306	4,025
20	ओडिशा	12	12	21,031	14,492	12,910

21	पंजाब	3	3	4,717	2,054	1,971
22	राजस्थान	9	13	12,257	9,217	8,523
23	सिक्किम	1	1	1,110	200	26
24	तमिलनाडु	4	4	7,552	4,010	3,960
25	तेलंगाना	19	20	19,110	11,956	10,788
26	त्रिपुरा	3	3	1,500	200	0
27	उत्तर प्रदेश	18	19	29,714	23,370	17,105
28	उत्तराखंड	4	4	5,146	2,338	1,788
29	पश्चिम बंगाल	16	16	27,098	13,540	10,829
	कुल योग	**204**	**258**	**3,10,157**	**2,33,279**	**2,21,072**

*****